न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 35/प्रा.पत्र/2024	30.01.2024	19.11.2024
(GCMS No. 2024/41)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1.नन्दलाल आ. किशना जाति बैरवा नि. गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया
(मृतक जर्ये कायम मुकाम) :–
1/1. श्रीमती रामकन्या पत्नी नंदलाल बैरवा नि.जगदम्बाकॉलोनी कोटा
1/2. योगेश पुत्र नंदलाल बैरवा नि. जगदम्बा कॉलोनी कोटा जंक्शन
1/3. मीना कुमारी पुत्री नंदलाल पत्नी देवेन्द्र कुमार जाति बैरवा
निवासी महावीर कॉलोनी कोटा
1/4. रेखा कुमारी पुत्री नंदलाल पत्नी प्रमोद कुमार जाति बैरवा
निवासी ग्राम हस्तिनापुर, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी।
1/5. लक्ष्मी कुमारी पुत्री नंदलाल पत्नी रविकांत जाति बैरवा
निवासी ग्राम कांकरा, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी।
1/6. सुगना बाई पुत्री नंदलाल पत्नी मुकेश कुमार जाति बैरवा
निवासी कुंवारी सती, लाखेरी तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी।
2. बद्रीलाल आ. किशना जाति बैरवा नि. गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया
हाल कुंवारी सती, सुभाषनगर लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. रामचन्द्र आ. किशना जाति बैरवा नि. गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया
हाल थाने के पास, के.पाटन, जिला बून्दी
4. मंगली पुत्री किशना पत्नी कल्याण जाति बैरवा
निवासी बलदेवपुरा (खटकड़), तहसील रायथल, जिला बून्दी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री मुकेश वर्मा एडवोकेट।

जिला कलेक्टर, बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी किशना आ. शंकर बैरवा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 67 मिन रकबा 6 बीघा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 35/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/41 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी नन्दलाल के फोत हो जाने से तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी मृतक नन्दलाल के वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाकर जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 07.10.2024 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अप्रार्थीगण नन्दलाल, रामचन्द्र, बद्रीलाल एवं मंगलीबाई के पिता किशना जाति बैरवा निवासी गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया को भूमि खसरा संख्या 67 रकबा 6 बीघा दिनांक 26.10.71 को आवंटन हुई थी, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 228 दिनांक 0.97 हैक्टेयर है। उक्त जमीन आवंटी किशना द्वारा आवंटन पत्र की शर्तो के अनुसार उक्त आराजी पर अपने खून पसीने की कमाई खर्च करके बंजर बारानी जमीन को एक वर्ष के अन्दर 50 प्रतिशत काबिज काश्त बनाकर उस पर ज्वार मक्का की खेती करते थे। आवंटन के 3 वर्ष के अन्दर अन्दर आवंटी किशना द्वारा पूरी जमीन को काबिज काश्त बनाकर उस पर लगातार खेती करते चले आ रहे थे। दिनांक 02.03.2005 को किशना की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम आकर अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

वर्तमान में भी उक्त आराजी पर कब्जा अप्रार्थीगण का ही है। आवंटी किशना की पत्नी भूलीबाई का देहान्त हो चुका है। आवंटी किशना द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करते हुये बंजर भूमि को काबिल काश्त बनाकर खेती गई किन्तु वर्तमान में उक्त आराजी की वेल्यू बढ जाने के कारण तहसीलदार महोदय के.पाटन द्वारा भू माफियों से मिलकर उक्त आराजी को अन्य व्यक्ति को आवंटन करने की गरज से झूठे व निराधार तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि किशना पुत्र शंकर जाति बैरवा निवासी गेण्डोलीखुर्द को मिसल संख्या 199 दिनांक 26.10.1977 को भूमि खसरा संख्या 67 मिन रकबा 6 बीघा एवं ख.सं. 120 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 पेश किया गया है। भू प्रबंध विभाग के नकल मिलान क्षेत्रफल दिनांक 1.4.1995 से 31.03.2015 के अनुसार खसरा सं. 67 मिन रकबा 6 बीघा के नये खसरा नं. 228 रकबा 0.9700 हैक्टेयर बने है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गेण्डोलीखुर्द की नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार भूमि ख.सं. 228 रकबा 0.97 हैक्टेयर पर अप्रार्थी नन्दलाल, रामचन्द्र, बद्रीलाल पि. किशना, मंगलीबाई पुत्री किशना एवं भूलीबाई बेवा किशना गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर अनुसार उक्त आंवटित भूमि पर मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि ख.सं. 228 पड़त पड़ी हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब के संलग्न पेश की गई खसरा गिरादावरी रबी (उन्हालू) वर्ष 2024 संवत् 2080 में भी उक्त भूमि पर कोई फसल नहीं होकर पड़त होना अंकित है।

यहां उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये जवाब में उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त होना अंकित किया है किन्तु अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। जबकि प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों से अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होना प्रकट होता है। प्रकरण में आवंटी तथा आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

जिला कलक्टर, बूंदी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी किशना पुत्र शंकर जाति बैरवा निवासी गेण्डोलीखुर्द को किया गया भूमि आवंटन हाल खसरा संख्या 228 रकबा 0.9700 हैक्टेयर वाके ग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया दिनांक 26.10.1977 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त आवंटित भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी